न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/142

01. रजत पुत्र मातूराम, जाति जाट निवासी ग्राम काजी तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुन।

––अपीलान्ट

बनाम

01. भालकोर पत्नी मोहरसिंह,
02. रामसिंह पुत्र मोहर सिंह,
03. सरोज पत्नी राजपाल,
04. साहिल पुनिया पुत्र राजपाल,
05. सलोनी पुत्री राजपाल, समस्त जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ, झुन्झुनू।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।

––मुख्य रेस्पोडेन्ट

07. कुलदीप पुत्र जुगलाल,
08. पवन पुत्र जगलाल,
09. किताब देवी पत्नी रिसालराम,
10. सुमेर सिह पुत्र रिसालराम,
11. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रिसालराम,
12. बबीता पुत्री मातुराम,
13. बबीता पुत्री मातुराम,
14. मिनाक्षी पुत्री मातूराम,
15. रवि पुत्र मातूराम,
16. सरोज पुत्री मातूराम,
17. सुशीला पुत्री मातुराम, समस्त जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री बनवारी लाल शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री गोपाल ताखर एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से**
3. **श्री तपेश्वर सिंह परमार एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 17 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.09.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर तलबी जारी हुई अपीलान्ट व अन्य विपक्षीगण ने जवाब एवं वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात् पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट आनी आवश्यक थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब किये ही पत्रावली सीधे बहस में दिनांक 13.10.2020 को नियत कर दी व दिनांक 29.12.2020 को बिना बहस सुनी ही बहस का अंकन करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2021 को पारित कर दिया जो आदेश विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना कतई मनमाना निर्णय है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी अंकित किया है कि दिनांक 06.07.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि सीमाज्ञान बाबत अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गई और ना ही सीमाज्ञान विधि अनुरूप किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि खसरा नम्बर 29 की भूमि पर विपक्षीगण ने कब्जा कर रखा है, कब्जे की भूमि को पत्थरगढ़ी की आड़ में बेदखल नही किया जा सकता है इसके लिये तो केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 183 के तहत ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण के वास्तविक व सही तथ्य यह है कि तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर तहरीर नही होकर ऑफिस में ही तैयार की गई है, अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट अपने मूल खसरा नम्बर 26 मौजा काजी पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट सुमर सिंह खसरा नम्बर 24 गैर मु. आबादी पर पश्चिमी दिशा पर मकान बनाकर तकरीबन 30 वर्षो से निवास कर रहा है जिसकी दक्षिण दिशा में अन्य के मकान है जो राजनैतिक द्वेषता रखते है तथा कानूनन किसी भी भूमि पर अतिक्रमण होने पर उसे विधि के निहित सिद्धान्तों के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी तथा अपीलान्ट को उनके अधिवक्ता ने आश्वस्त कर रखा था कि प्रकरण में आपकी आवश्यकता होने पर आपको अवगत कर प्रकरण बाबत सूचना दे दी जायेगी परन्तु अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से प्रकरण की कार्यवाही बाबत अवगत नही कराया गया, दिनांक 23.06.2021 को जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपीलान्ट्स के पुख्ता मकानात व बाड़े की तोड फोड करने के लिये आये तो अपीलान्ट ने उनका पुरजोर विरोध किया, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा जाते जाते अपीलान्ट को एलानिया धमकी दी गई कि हमने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ से अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया है और शीघ्र ही जरिये पुलिस इमदाद हमारे द्वारा आपके कब्जे को ध्वस्त करवा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिया जायेगा, अपीलान्ट को अत्यन्त आश्चर्य हुआ और दिनांक 23.06.2021 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 24.06.2021 को प्राप्त करली एवं तत्पश्चात् कोविड–19 के कारण चल रहे लॉक डाउन के कारण एवं मुकदमा मेहनताना इक्कठा कर व आवश्यक कानूनी सलाह लेकर अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई व उक्त विलम्ब को क्षमा करने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ग्राम काजी के रहने वाले है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वृद्ध महिला एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 विधवा महिला है एवं ग्राम काजी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 0.93 हैक्टयर स्थित है जिसकी खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के पिता राजपाल के नाम से है उक्त खातेदार राजपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बर 29 की कृषि भूमि की सीमाजोड़ पड़ौसी खातेदारान द्वारा दबाने का सीमा विवाद है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को अपनी भूमि को चिन्हित करवाकर उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा उक्त भूमि की सीमाज्ञान हेतु तहसीदार सूरजगढ के समक्ष आवेदन करने पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 06.07.2020 को किया जा चुका तथा उक्त सीमाज्ञान के आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक व अधिकार प्रदत्त है तथा अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट को अनावश्यक ही हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के

P.T.O.

अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 0.93 हैक्टयर के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के पूर्वज राजपाल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं कानूनन प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार कानूनन प्रदत्त है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करवाने का अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने के विधिक अधिकार प्रदत्त नही होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2021 किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन ओदश दिनांक 01.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।